


मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर
GST & CENTRAL EXCISE (JAIPUR ZONE), JAIPUR
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या: 78/2019

दिनांक: 07.11.2019

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित नियम/अनुदेश के अनुसरण में श्री मनोज वशिष्ठ, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), कार्यालय आयुक्त (अपील्स), जी.एस.टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 13.08.2019 को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक **15.11.2019 (पूर्वाह्न)** से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।


(प्रमोद कुमार सिंह)
प्रधान आयुक्त

फा.सं.: 11-25(2)सीसीयू/जेजेड/2019/1159

दिनांक: 07.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. आयुक्त (अपील्स), जी.एस.टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर को उनके पत्र फा. सं. 11-39(03)वे.अनु./अपील/2019/3490 दिनांक 19.08.2019 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री मनोज वशिष्ठ, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें की उनके विरुद्ध कोई सरकारी/विभागीय देयता यथा विभागीय परिचय पत्र, अग्रिम, ऋण अथवा विभागीय हथियार एवं सतर्कता/असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री मनोज वशिष्ठ, अधीक्षक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण, जयपुर/अंकेक्षण, जोधपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क, जोधपुर (मु.जयपुर)।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
5. अधीक्षक (कम्प्यूटर), जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी प्रति- श्री मनोज वशिष्ठ, अधीक्षक, ग्रुप-ब (राजपत्रित), कार्यालय आयुक्त (अपील्स), जी.एस.टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/संबंधित एसोसियेशन/सूचना पट्ट।


प्रधान आयुक्त